न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं.15/2022
जीसीएमएसः– 2022/44

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.मांगी पुत्री भीखाराम पत्नि रूगनाथ जाति सुथार हाल सेडिया तह–सांचौर जिला सांचौर 2. नेनूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नि किशनाराम जाति सुथार निवासी डी. गांव करड़ा तह.–रानीवाड़ा जिला सांचौर। 3. केलीदेवी पुत्री भीखाराम पत्नि नेनाराम जाति सुथार निवासी डांगरा तह.सांचौर 4. पांचूदेवी पुत्री भीखाराम पत्नि निम्बाराम जाति सुथार निवासी कुकावास तह.–सांचौर 5. देवूवेदी पुत्री भीखाराम पत्नि मनसाराम फौत के कायम मुकाम अ. चुतराराम पुत्र मनसाराम। ब. नरसीराम पुत्र मनसाराम जातियान–सुथान निवासीगण–अरणाय तह.–सांचौर जिला सांचौर(राज.)		1. हरीराम पुत्र भगाराम जाति सुथार निवासी खासरवी तह–चितलवाना जिला सांचौर। 2. बाबुलाल पुत्र मनसाराम जाति सुथार निवासीगण अरणाय तह–सांचौर जिला सांचौर। 3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तसीलदार सांचौर। 4. व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे. (एस.बी.आई.) शाखा सांचौर। 5. उप–पंजीयक सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट नियम 1955 **तारीख रजू:– 19.05.2022**

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पुरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई।
4. अप्रार्थी संख्या 3,4,5 एक पक्षीय।

निर्णय दिनांक 29/5/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत असथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा नारायणपुरा, पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के नवीन खाता संख्या 125 के खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टयर किसम गै.मु.ढाणी, खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टयर किस्म बा.सो. जुमले कुल रकबा 7.04 हैक्टयर की पैतृक कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि हमारे पिता भीखाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त रही है। प्रार्थीगण के पिता भीखाराम के निर्ससयति फौत होने पर स्व. भीखाराम के प्रथम अनुसूची के वारिस हम प्रार्थीगण है। भीखाराम के विधिक वारिसान होने से उक्त भूमि के सम्पूर्ण हक हकूक प्रार्थीयागण को निहित हो गया, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा मात्र कोजीदेवी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। तत्पश्चात् हमारी माता कोजीदेवी के फौत होने पर भी दर्ज नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक में हम प्रार्थीयागणों को हमारे हक हकूको से वंचित करते हुए अवैध व गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी हरिराम ने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम इन्द्राज करवा ली, जिसका हरिराम को कोई कानूनी अधिकार नही था।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीयागण के पिता भीखाराम ने अपने जीवनकाल में कभी हरिराम गोद पुत्र ग्रहण नही किया एवं न ही हरिराम गोद पुत्र की हैसियत से भीखाराम के साथ रहा। हमारी माता कोजीदेवी की सेवा – चाकरी भी हरीराम ने कभी नही की तथा न ही गोदपुत्र की भांति हमारी माता के साथ रहा। हमारी माता कोजीदेवी की सेवा–चाकरी हम बहनों एवं विशेषकर प्रार्थीया मांगीदेवी द्वारा की गई। हरीराम अपनी पत्नी के साथ पैतृक गांव खारारी में निवास करता है एवं अपने पिता भगाराम की भूमि के 1/5 भाग पर कृषि कर रहा है तथा केवली हमारी पुश्तैनी सम्पति हड़प करने हेतु कूटरचित कागजी औपचारिकता पूरी की, जिसकी भनक किसी को नही लगने दी।

प्रार्थीयागण अपनी पैश्तैनी भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्ण काश्त कर रही है, परन्तु विगत समय में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का फायदा उठाते हुए पुश्तैनी आराजी में से खसरा नम्बर 126 रकबा 0.09 हैक्टयर केसीदेवी पत्नि मालाराम विश्नोई को बेचान कर दी तथा प्रार्थीयागण को ऐलिनियां धमकियां देने लगा कि आप कब्जा खाली करो नही तो शेष रही भूमि भी मैं किसी अजनबी एवं बदमाश व्यक्ति को विक्रय कर दूँगा या बैंक में रहन रख तुम लोगों को बेदखल करवा दूँगा। अतएव प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन है कि यदि वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम को पाबंन्द नही किया गया तो अप्रार्थी अपने नाम के राजस्व अंकन का गलत लाभ लेते हुए वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन करवाये तथा हमें हमारे पुश्तैनी हक हकूकों से वंचित करते हुए बेचान अथवा रहन करवा देगा तथा वादग्रस्त आराजी का दुर्व्यन करते हुए खुद–बुर्द कर देंगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसका मूल्यांकन द्रव्य में आंकना संभव नही है एवं अकारण वाद–विवाद एवं मुकदमेबाजी बढ़ेगा जिससे अनवाश्यक धन एवं श्रम की हानि होगी। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावें कि प्रार्थीयागण की पुश्तैनी आराजी के शेष भाग खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम भीखराम का गोदपुत्र हूँ एवं ग्राम नारायणपुरा (सेड़िया) में निवास करता हूँ एवं मेरे पहचान के दस्तावेज यही के है तथा गोदपुत्र होने से उक्त भूमि का असली वारिस अप्रार्थी ही है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कथन यिा कि ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टयर व खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टयर जुमले कुल रकबा 7.04 हैक्टयर का मै अकेला खातेदार हूँ तथा काबिज–काश्त हूँ तथा कोजीदेवी की सभी पुत्रियां ससुराल में निवासरत है।

अप्रार्थी संख्या 01 को कोजीदेवी के साथ 15.02.1998 को एक ईकरारनामा निष्पादित किया, जिसमें सभी सहमति प्रकट की कि अप्रार्थी संख्या 01 कोजीदेवी का एकमात्र वारिस होगा उस समय लिखित सहमति अनुसार मेरी बहन मांगीदेवी पत्नि रूगनाथ को मौजा नारायणपुरा के खेत खसरा नम्बर 848/13 रकबा 1.29 हैक्टयर भूमि दान की थीं इसी अनुसार खसरा नम्बर 136 व 137 मेरे नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जो आज दिन तक मेरे नाम से बदस्तूर है। भीखाराम ने अपने जीवनकाल में मुझे गोद ले लिया था तथा मै ही उनकी सेवा चाकरी करता रहा। भीखाराम की मृत्यु के पश्चात कोजीदेवी की सेवा चाकरी भी मेरे द्वारा ही की गई, जिससे कोजीदेवी ने रजिस्टर्ड गोदनामा द्वारा मुझे गोद लिया गया। अब प्रार्थी पक्ष के मन में खोट आ जाने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो म्याद बाहर है, अतः प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 02 बाबुलाल पुत्र मनसाराम ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पैतृक एवं सामलाती है, अतएवं वादपत्र के निस्तारण तक प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है,तो उसे कोई उजर, या एतराज नही है।

बहस वकील प्रार्थीयागण व अप्रार्थी संख्या 01 राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आ.टी.एक्ट,1955 पर सुनी गई उस पर मनन किया। हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना समुचित समझते है–

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामला:–</u>** प्रार्थीयागण द्वारा ग्राम नारायणपुरा के खसरा नम्बर 136 के भीखाराम तथा तत्पश्चात उनकी माता केलीदेवी के नाम दर्ज होना कथन किया है, जो नकल द्वितीय भू–प्रबंध खतौनी जमाबंदी के अनुसार सही है। वर्तमान में उक्त खसरे अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम के नाम दर्ज है। भीखाराम द्वारा हरीराम को गोदपुत्र लेने का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नही है। प्रार्थीयागण अपनी माता के साथ भीखाराम की प्रथम अनुसूची की वारिस है, परन्तु उन्हे अधिकार से वंचित किया गया तथा माता केलीदेवी की मृत्यु के पश्चात भी उनका नाम राजस्व अधिकार अभिलेखों में दर्ज नही किया गया। जो पत्रावली के साक्ष्यों एवं अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीयागण भीखाराम व कोजीदेवी की पुत्रियां है। अप्रार्थी एवं प्रार्थीयागण के अधिकारों का निर्धारण साक्ष्य सबूतो एवं मूलवाद के निर्णयन का विषय है, प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीयागण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः–</u>** वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीयागण के पैतृक होने से एवं पूर्व में खसरा नम्बर 126 रकबा 0.91 हैक्टयर भूमि के बेचान से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये का प्रर्याप्त कारण उपस्थित है तथा प्रकरण के समुचित न्याय निर्णयन एवं अनावश्यक कानूनी वा–विवाद तथा जटिलताओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए हम आवश्यक समझते है कि ताफैसला वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा परिवर्तन नही किया जाए। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में भलीभांति सिद्व होता है।

3. **<u>अपूरणीय क्षतिः–</u>** पूर्व में विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में साबित हो चुके है। पूर्व विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी की राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाना संभावित है तथा यदि ऐसा किया जाता है तो वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगा, जिसका सर्वप्रथम प्रभाव प्रार्थीयागण पर होना निश्चित है, इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करने, रिकॉर्ड में परिवर्तन करने या मौका स्थिति में परिवर्तन किये जाने से प्रार्थीयागण को अपूरणीय क्षति हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक प्रार्थीयागण साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में मूलवाद के निर्णयन तक वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौका स्थिति में परिवर्तन नही किए जाने बाबत् प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत एंव उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, 1955 सारवान होने एवं भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेशा से पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसीलद सांचौर के खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.04 हैक्टयर व खसरा नम्बर 137 रकबा 7.00 हैक्टयर के संबंध में ताफैसला वाद वर्तमान रेकर्ड एवं मौके स्थिति में कोई परिवर्तन न करें। न ही ऐसा किसी प्रतिनिधि या अन्य द्वारा करावें। किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण, मरम्मत, प्लांटिग,तारबंदी, चारदीवारी आदि नही करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तममील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 29/05/2024 सर–ए– इजलाज सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner